

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद, मथुरा एवं बुलन्दशहर
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 18 अप्रैल, 2023

विषय:-हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं से अवमुक्त भूमि के सुनियोजित विकास हेतु नीति निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया कार्यशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं से अवमुक्त भूमि के सुनियोजित विकास हेतु नीति निर्धारण किये जाने संबंधी शासन के पत्र संख्या-469/आठ-3-23-227 विविध/2011 टी.सी. दिनांक 28.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कार्यशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं से अवमुक्त भूमि के सुनियोजित विकास के संबंध में संबंधित हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ता के साथ प्राधिकरण स्तर पर विचार-विमर्श कर सुविचारित प्रस्ताव शासन एवं निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में वांछित प्रस्ताव/आख्या अब तक प्रतीक्षित है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में वांछित प्रस्ताव/आख्या शासन एवं निदेशक, आवास बन्धु को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
18.4.23
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सूचिव

संख्या:-469(3)/आठ-3-23-227 विविध/2011 टी0सी0-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
- (2) संबंधित हाईटेक टाउनशिप विकासकर्ता, गाजियाबाद, मथुरा एवं बुलन्दशहर द्वारा उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण।

आज्ञा से,
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव